

# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/173/2022

रजू दिनांक: 28.11.2022

रजि0 न0 2022/516

अपीलार्थी:-

श्री मुकेश कुमार, निवासी ग्राम टोडा,  
रायसिंहपुरा, पोस्ट दरीबा प्रोजेक्ट, तहसील  
राजगढ़, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला  
कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 10.01.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 05.12.2022 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2022/3061 दिनांक 21.12.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कि नियमावली, शर्तें, गाइडलाईन, परिपत्र, आदेशादि राज्य सरकार द्वारा बनाये जाते हैं अथवा निर्धारित किये जाते हैं। उन्हीं के स्तर पर आवेदन कर जानकारी प्राप्त करें, इस कार्यालय स्तर से वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराई जाना अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल इफ्तार हो।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलक्टर अलवर (राज0)